संख्याः 9/2018/294/55-पर्या-2-18/100(पर्या0)/2017

प्रेषक,

भारत प्रसाद,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यावरण, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 31 मार्च ,2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-2018 में अनुदान संख्या-45 के राजस्व पक्ष के अंतर्गत पुनर्विनियोजन की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण निदेशालय के पत्र संख्याः 1241/पर्या0/ लेखा-14/2017-18 दिनांकः 30 मार्च, 2018 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "03-पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय" के उपलेखाशीर्षक 04-यात्रा व्यय, के व्ययों के सुचारू रूप से निर्वहन हेतु "03-पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय" के उपलेखाशीर्षक 01-वेतन में प्रावधानित धनराशि 1,84,88,000-00 के सापेक्ष रू0 1,00,000/- (रू0 एक लाख मात्र) की धनराशि का पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति दिये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्तानुसार/अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रचलित वित्तीय नियमों/शासनादेशों/मैनुअल आदि का अनुपालन करते हुए किया जायेगा तथा जहां आवश्यकता हो वहां पर शासन अथवा सक्षम अधिकारी का अनुमोदन भी प्राप्त किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- उपर्युक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के "अनुदान संख्या-45-लेखाशीर्षक-3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-04-प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय-04-यात्रा व्यय", के नामे डाला जायेगा।

4- पुनर्विनियोग संबंधी आलेख्य संलग्न है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

संख्याः 9/2018/294/55-पर्या-2-18/100(पर्या0)/2017 दिनांकः31 मार्च, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-7/वित्त आय-व्ययक, अनुभाग-1/2

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।